

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/ 2019

दिनांक: 15-6-2021

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद झुझुनू में न्यायिक प्रकरणों की पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री महेश चन्द शर्मा	नगर परिषद झुझुनू
2.	श्री नफीस अहमद	नगर परिषद झुझुनू

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद झुझुनू से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक मन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)()डीएलबी/20/ 2100-2109

दिनांक: 15-6-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
05. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद झुझुनू।
06. श्री महेश चन्द शर्मा, / श्री नफीस अहमद, अधिवक्ता, मार्फत नगर परिषद झुझुनू।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी